कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर।

निविदा सूचना

पत्रांक 392/I कानपुर नगर दिनांक 16.02.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्किट हाउस कालोनी कैन्ट, कानपुर नगर के न्यायिक अधिकारियों के आवासों की बाउन्ड्रीवाल के संरेखण में 01 अदद चिलबिल का हरा पेड़ जिसकी गोलाई 280 सेमी. न्यूनतम मूल्य 4107/– है। नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वंय के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नही किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिये तब तक अधिकृत नही होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित हैं, लिखित प्राधिकार नही प्राप्त कर लेता। जहां जैसे हैं इस शर्त पर पेड़ का विक्रय किया जायेगा। क्रेता किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत में सम्पर्क कर उक्त पेड़ का निरीक्षण कर सकते हैं। विज्ञापित किये गये पेड़ को बिना कारण बताये नीलामी से रोकने के लिये अधिकृत होगा। बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा तथा पेड़ काटने के पूर्व सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट एंव हुन्डी स्वीकार नही होगी। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को पेड़ बेच दिया जायेगा। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के अर्न्तगत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही पेड़ को अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार किये जाने की लम्बित दशा में बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अर्न्तगत अपने उत्तरदायित्व पर पेड़ की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था करेगा। पूर्ण भुगतान के बाद केन्द्रीय नाजिर की उपस्थिति में पेड़ का पातन कर ले जाना होगा। भुगतान हो जाने के 02 दिनों के अन्दर पेड़ को काटकर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो क्रेता की होगी। अधिकतम धनराशि के बोलीकर्ता को नीलामी के उपरान्त नियमानुसार वृक्ष पातन अनुज्ञा शुल्क एंव जमानत की धनराशि कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर के पक्ष में जमा करना होगा तथा 10 पौध भी रोपित करना होगा। बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करनें का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित है। नीलामी की कार्यवाही जनपद न्यायालय के बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल के बरामदे में दिनांक 27.02.2024 को सांय 4:30 बजे सम्पादित की जायेगी

16-2-2024

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।

Spl. Judge S.C./S.T. Act
Kanpur Nagar

इस नोटिस की एक एक प्रति नोटिस बोर्ड, जिला एवं सत्र न्यायालय, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये, व एक प्रति निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये तथा जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर सिस्टम आफीसर से अपलोड कराये।

16-2-2024

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।

Spl. Judge S.C./S.T. Act
Kanpur Nagar

Computer –

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर।

निविदा सूचना

पत्रांक 392/I   कानपुर नगर   दिनांक 16.02.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्किट हाउस कालोनी कैन्ट, कानपुर नगर के न्यायिक अधिकारियों के आवासों की बाउन्ड्रीवाल के संरेखण में 01 अदद चिलबिल का हरा पेड़ जिसकी गोलाई 280 सेमी. न्यूनतम मूल्य 4107/- है। नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वंय के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नही किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिये तब तक अधिकृत नही होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित हैं, लिखित प्राधिकार नही प्राप्त कर लेता। जहां जैसे हैं इस शर्त पर पेड़ का विक्रय किया जायेगा। क्रेता किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत में सम्पर्क कर उक्त पेड़ का निरीक्षण कर सकते हैं। विज्ञापित किये गये पेड़ को बिना कारण बताये नीलामी से रोकने के लिये अधिकृत होगा। बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा तथा पेड़ काटने के पूर्व सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट एंव हुन्डी स्वीकार नही होगी। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को पेड़ बेच दिया जायेगा। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के अर्न्तगत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही पेड़ को अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार किये जाने की लम्बित दशा में बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अर्न्तगत अपने उत्तरदायित्व पर पेड़ की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था करेगा। पूर्ण भुगतान के बाद केन्द्रीय नाजिर की उपस्थिति में पेड़ का पातन कर ले जाना होगा। भुगतान हो जाने के 02 दिनों के अन्दर पेड़ को काटकर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो क्रेता की होगी। अधिकतम धनराशि के बोलीकर्ता को नीलामी के उपरान्त नियमानुसार वृक्ष पातन अनुज्ञा शुल्क एंव जमानत की धनराशि कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर के पक्ष में जमा करना होगा तथा 10 पौध भी रोपित करना होगा। बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करनें का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित है। नीलामी की कार्यवाही जनपद न्यायालय के बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल के बरामदे में दिनांक 27.02.2024 को सांय 4:30 बजे सम्पादित की जायेगी

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।

इस नोटिस की एक एक प्रति नोटिस बोर्ड, जिला एवं सत्र न्यायालय, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये, व एक प्रति निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये तथा जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर सिस्टम आफीसर से अपलोड कराये।

16-2-2024

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।

Spl. Judge-S.C./S.T. Act
Kanpur Nagar

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर।

निविदा सूचना

पत्रांक 392/I कानपुर नगर दिनांक 16.02.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्किट हाउस कालोनी कैन्ट, कानपुर नगर के न्यायिक अधिकारियों के आवासों की बाउन्ड्रीवाल के संरेखण में 01 अदद चिलबिल का हरा पेड़ जिसकी गोलाई 280 सेमी. न्यूनतम मूल्य 4107/– है। नीलामी की उच्चतम बोली बोलने वाले को दी जायेगी। प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वंय के लिये ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नही किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिये तब तक अधिकृत नही होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित हैं, लिखित प्राधिकार नही प्राप्त कर लेता। जहां जैसे हैं इस शर्त पर पेड़ का विक्रय किया जायेगा। केता किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत में सम्पर्क कर उक्त पेड़ का निरीक्षण कर सकते हैं। विज्ञापित किये गये पेड़ को बिना कारण बताये नीलामी से रोकने के लिये अधिकृत होगा। बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा तथा पेड़ काटने के पूर्व सम्पूर्ण धनराशि जमा करना होगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट एंव हुन्डी स्वीकार नही होगी। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को पेड़ बेच दिया जायेगा। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। यदि सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति निर्धारित समय के अर्न्तगत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा साथ ही पेड़ को अगली उच्चतम बोली लगाने वाले को प्रस्तावित किया जायेगा। सफल बोली को स्वीकार किये जाने की लम्बित दशा में बोली लगाने वाला नीलामी के परिसर के अर्न्तगत अपने उत्तरदायित्व पर पेड़ की अभिरक्षा की उचित व्यवस्था करेगा। पूर्ण भुगतान के बाद केन्द्रीय नाजिर की उपस्थिति में पेड़ का पातन कर ले जाना होगा। भुगतान हो जाने के 02 दिनों के अन्दर पेड़ को काटकर ले जाना आवश्यक होगा अन्यथा 01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जायेगा। चुंगी अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो केता की होगी। अधिकतम धनराशि के बोलीकर्ता को नीलामी के उपरान्त नियमानुसार वृक्ष पातन अनुज्ञा शुल्क एंव जमानत की धनराशि कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर के पक्ष में जमा करना होगा तथा 10 पौध भी रोपित करना होगा। बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करनें का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पास सुरक्षित है। नीलामी की कार्यवाही जनपद न्यायालय के बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल के बरामदे में दिनांक 27.02.2024 को सांय 4:30 बजे सम्पादित की जायेगी

16.2.2024

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।

Spl. Judge S.C./S.T. Act
Kanpur Nagar

इस नोटिस की एक एक प्रति नोटिस बोर्ड, जिला एवं सत्र न्यायालय, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये, व एक प्रति निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये तथा जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर सिस्टम आफीसर से अपलोड कराये।

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट/
अध्यक्ष,
नीलामी समिति जनपद न्यायालय,
कानपुर नगर।